कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर

(कमरा नं 106—107, प्रथम तल, प्रशासनिक भवन भारत संचार निगम, बजरिया, स0माधोपुर)
ph- 07462-220359 g.mail- minosmdpr7@gmail.com

क्रमांक : जि.अ.सं.क.अ. / दिनांक : 29.05.2026

1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाई माधोपुर
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, (समस्त) सवाई माधोपुर,
4. श्रीमान विकास अधिकारी, (समस्त) सवाई माधोपुर।
5. श्रीमान तहसीलदार, (समस्त) सवाई माधोपुर
6. श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
7. श्रीमान आयुक्त नगर परिषद / अधिशाषी अधिकारी समस्त नगर परिषद / नगर पालिका, सवाई माधोपुर
8. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका, सवाई माधोपुर
9. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर
10. श्रीमान सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर।
11. श्रीमान अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर
12. श्रीमान उपनिदेशक , आयुर्वेद विभाग, सवाई माधोपुर
13. अन्य संबंधित ....।

विषय — जिला सवाई माधोपुर में हीटवेव से जैन श्रमणों (साधु—साध्वियों) की सुरक्षा के लिए दिशा—निर्देश प्रदान करने / करवाने के क्रम में।

प्रसंगः— कार्यालया जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर का पत्रांक राज.रेफ.नं. 22478146 दिनांक 27.05.2026, एवं 3609—15 दिनांक 09.07.2025, राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद का पत्र क्रमांक 1105 / 2026 दिनांक 19.05.2026,

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं सदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर में हीटवेव से जैन श्रमणों (साधु—साध्वियों) की सुरक्षा के लिए दिशा—निर्देश प्रदान करने / करवाने हेतु प्रासंगिक एवं अध्यक्ष, राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद से प्राप्त मूल पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(मीना मनोज कुमार)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
सवाई माधोपुर

क्रमांक : जि.अ.सं.क.अ. / दिनांक : 29.05.2026

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ ।

1. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेकटर महोदय, सवाई माधोपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद।
6. कार्यालय प्रति।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
सवाई माधोपुर

RajKaj Ref No.: 22529270
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Meena Manoj Kumar
Designation : District Minorities Welfare Officer
Date: 2026.05.29 17:32:06 IST
Reason: Approved

International Year of Cooperatives 2025

अतिआवश्यक

कार्यालय जिला कलेक्टर,सवाई माधोपुर

क्रमाक / प(10)(18)(1)विकास / अल्पसंख्यक / 2025 / 1389 दिनांक 27-05-2026

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सवाई माधोपुर

विषयः—जैन श्रमणों (साधु—साध्वियों) की हीटवेव से सुरक्षा के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्री जिनेन्द्र जैन, अध्यक्ष राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद् का पत्र 1105 दिनांक 19.05.2026 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं। जिससे ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया गया है कि जैन श्रमणों (साधु—साध्वियों) द्वारा देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान से लेकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के सिद्धांतों और शांति तथा अंहिसा के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुचाते है। मई माह में ही तापमान बहुत ज्यादा होने लग गया है। ऐसी भीषण गर्मी के कारण जैन श्रमणों (साधु—साध्वियों) के लिए हीटवेव में काफी परेशानियों का सामाना करना पड़ता है, हालांकि वे इन्हें सहन करके अपनी साधना और अपना पैदल विहार निरन्तर जारी रखते है।

अतः पत्र की मूल प्रति संलग्न कर लेख है कि हीटवेव से जैन श्रमणों (साधु—साध्वियों / संतो) की सुरक्षा करने हेतु (प्रासंगिक पत्रानुसार बिन्दुओं पर) नियमानुसार उचित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें। आप द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
संलग्न — उपरोक्तानुसार

(गौरव बुडानिया, आई.ए.एस)
प्रभारी अधिकारी,
विकास अनुभाग, कलेक्ट्रेट
सवाई माधोपुर

क्रमाक / प(10)(18)(1)विकास / अल्पसंख्यक / 2025 / 1390-1397 दिनांक 27-5-2026
प्रतिलिपिः—आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।
2. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला सवाई माधोपुर।

RajKaj Ref No.:
22478146

Document certified by GAURAV BUDANIA <BUDANIAG@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by GAURAV BUDANIA
Designation : Chief Executive Officer
Date :27-05-2026 02:03:47

Mobile: 7877735999
E-mail: rsjyp21@gmail.com
jinendrajain14319@gmail.com

राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद्

संरक्षकः जस्टिस नरेन्द्र कुमार जैन डॉ. शीतल चन्द जैन अशोक बांठिया ज्ञानचन्द जैन मुकेश जैन मंगल चन्द जैन

क्रमांकः 1105/2026

दिनांक 19/05/2026

प्रतिष्ठा में
1.माननीय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय ,
जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर (राज०)
2.माननीय अध्यक्ष महोदय जी ,
श्रमण विहार और सुरक्षा एवं भूमि आवंटन समिति, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर (राज०)
3.माननीय सचिव महोदय जी,
श्रमण विहार और सुरक्षा एवं भूमि आवंटन समिति, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर (राज०)

विषय : जिले में हीटवेव से जैन श्रमणों (साधु - साध्वियों) की सुरक्षा करने के लिए दिशा- निर्देश प्रदान करने / करवाने के सन्दर्भ में विनम्र निवेदन ।

प्रसंग 1.पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था,महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 776 दिनांक 10.06.2025 के सन्दर्भ में ।

सम्माननीय महोदय जी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान से लेकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के सिद्धांतों और शान्ति तथा अहिंसा के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य जैन साधु - साध्वियों / संतो के द्वारा किया जाता है जिन्हें जैन धर्म मे श्रमण कहा जाता है । श्रमण अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में रहने वाले सभी समुदायों की अमूल्य धरोहर है । ये चलते फिरते तीर्थ है । इनको सुरक्षित पैदल विहार और प्रवास करवाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है ।

श्रमणों के लिए हीटवेव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हालांकि वे इन्हें सहन करके अपनी साधना और अपना पैदल विहार निरन्तर जारी रखते है । कुछ श्रमण नग्न होते है और कुछ श्वेत वस्त्र धारण करते है । जिससे उन्हें गर्मी का अधिक एहसास होता है गर्मी से उनके शरीर का तापमान बढ़ता है जिससे बैचेनी होती है और पानी की कमी होने से शरीर से निर्जलीकरण होने का खतरा रहता है । शरीर में जलन एवं खुजली होने का खतरा बढ़ता है जो एक चिन्ता का विषय है ।

वर्तमान में जिले में इस बार उम्मीद से कही ज्यादा गर्मी मई माह में ही पड़ने लगी है । गर्मी की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है । इस वर्ष की गर्मी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है हो सकती है अगले वर्ष इससे भी भयानक गर्मी आएगी,इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी । विगत वर्षो में हमने भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में इन चलते फिरते तीर्थ रूपी श्रमणों को खोया है । कई जिलों से ऐसे दुःख भरे समाचार मिले है तो हृदय असहनीय पीड़ा से कराह उठता है । अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो हम विश्व की इस महान धरोहर को विलुप्त होने का पाप अपने माथे पर लगा बैठेंगे । हिटवेव से जैन श्रमणों (साधु -साध्वियों / संतो) की सुरक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय के समाज श्रेष्ठियों के आदेश की अनुपालना तथा युवा वर्ग के सलाह के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु बनाए जो उचित कार्यवाही करने / करवाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है -

Mobile: 7877735999
E-mail: rsjyp21@gmail.com
jinendrajain14319@gmail.com

राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद्

संरक्षकः जस्टिस नरेन्द्र कुमार जैन डॉ. शीतल चन्द जैन अशोक बांठिया ज्ञानचन्द जैन मुकेश जैन मंगल चन्द जैन

क्रमांकः 1106/2026

दिनांक 19/05/2026

1.जैन श्रमण यदि साध्वी है और उनके साथ पैदल विहार और प्रवास के समय चलने वाली महिला श्रावक है तो उनके लिए पैदल विहार और प्रवास के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की समुचित व्यवस्था करते हुए पी.सी.आर उपलब्ध करवाई जाए।

2.जैन श्रमणों (साधु -साध्वियों / संतो) को प्रवास करवाने के लिए जैन समुदाय के पास जहां उपर्युक्त स्थान की अनुउपलब्धता अथवा जहां जैन समुदाय के लोग ही नहीं हो वहां शासन-प्रशासन द्वारा श्रमणों को राजमार्ग के निकट का स्थान उपलब्ध करवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां आस -पास पर्याप्त आबादी क्षेत्र हो।

3.शासन - प्रशासन द्वारा जैन श्रमणों को प्रवास के लिए उपलब्ध करवाए गए भवन की अच्छी साफ -सफाई हो और पानी के प्राकृतिक संसाधन और निहार (शौच क्रिया) की समुचित व्यवस्था करवाई जाए साथ ही बिजली एवं गर्मी से बचाव करने के उपकरण जैसे पंखे,कूलर आदि की भी व्यवस्था की जाए।

4.जो श्रमण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का उपयोग नहीं करते हो उनके प्रवास की व्यवस्था हीटवेव को देखते हुए ठंडी जगह जैसे बेसमेंट आदि में करवाई जाए तथा खिड़कियों पर टाट की बोरियों को गीला कर लगवा दिया जाए। जिससे उन्हें राहत महसूस हो और उन्हें लू के प्रकोप से बचाया जा सके।

5.हीटवेव को देखते हुए दोपहर के समय (लगभग 11बजे से 4 बजे तक) श्रमणों के पैदल विहार नहीं करने का निवेदन किया जाए। केवल बहुत ही आवश्यक दशाओं में श्रमण शाम को विहार करे।

6.जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय के समाजश्रेष्ठियों एवं श्रमण संघ संचालको के सहयोग से श्रमणों के लिए आमतौर पर प्रयुक्त किये जाने वाले राजमार्गो को सूचीबद्ध किया जाए। उन राजमार्गो पर व्हाइट फुटपाथ जैसी गर्मी को रोकने वाली चीजों का निर्माण किया जाए।

7.श्रमणों के पैदल विहार एवं प्रवास के दौरान उनकी हिटवेव से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयुर्वेद एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए उचित प्रबन्धन किया जाए।

8.श्रमणों एवं उनके साथ चलने वाले सहायकों के पैदल विहार एवं चातुर्मास के दौरान आकस्मिक दुर्घटना के बचाव के लिए चिकित्सा एवं एम्बुलेन्स की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए।

हिटवेव से जैन श्रमणों (साधु -साध्वियों / संतो) की सुरक्षा करने के महत्वपूर्ण सुझाव आपके आपके समक्ष प्रस्तुत कर आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इन सुझावों के पालन करते / करवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इससे श्रमणों की चर्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं हो।

आपसे सादर अनुरोध है कि जिले में हीटवेव से जैन श्रमणों की सुरक्षा करने के लिए सामान्य दिशा- निर्देश प्रदान करने / करवाने का श्रम फरमा कर अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय को अनुगृहित करे।

सादर,

आपका स्नेहांकित

जिनेन्द्र जैन
अध्यक्ष

प्रान्तीय कार्यालयः 19, पार्क एवेन्यु लेन, वाटिका इन्फोटेक सिटी, ठिकरिया, अजमेर रोड़, जयपुर (राज.) - 302026